प्रेस नोट **10/06/2025**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹55,000-55,000 रुपये के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा दिनांक 10-06-2025 को मु0अ0सं0 416/2004 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120बी भादवि थाना दक्षिण टोला में दोषसिद्ध अभियुक्तगण छेदीलाल शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, संतोष कुमार शर्मा समस्त पुत्रगण स्व0 शिवपुजन शर्मा, दीपक शर्मा पुत्र छेदीलाल शर्मा समस्त निवासीगण छेदापुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹55,000-55,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में एडीजीसी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुनील गुप्ता थाना दक्षिणटोला का सराहनीय योगदान रहा।

गैर इरादतन हत्या मामले में संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपरधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2025 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भदेसरा मोडं के पास से मु0अ0सं0 98/2025 धारा 3(5)/115(2)/352/351(2)/105 बी0एन0एस0 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण अभिषेक, अभिनय पुत्रगण ओमप्रकाश, रीता देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी बैराठपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है किं दिनांक 03.06.2025 को नाली का पानी बहाने को लेकर मारपीट में उक्त अभियुक्तो द्वारा मारने से एक व्यक्ति को लोहे की राड से मारने से घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। अभियुक्त अभिषेक व अभिनय पर जनपद मऊ के थाना दक्षिणटोला पर 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश निवासी बैराठपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. अभिनय पुत्र ओमप्रकाश निवासी बैराठपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. रीता देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी बैराठपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय थाना दक्षिणटोला मऊ
2. उ0नि0 अपरबल सिंह थाना दक्षिणटोला मऊ
3. का0 संजय कुमार थाना दक्षिणटोला मऊ
4. का0 रोहित यादव थाना दक्षिणटोला मऊ
5. म0का0 प्रीति सिंह थाना दक्षिणटोला मऊ

दहेज हत्या से संबंधित मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.06.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चक्काबोझ नहर पुलिया के पास से मु0अ0सं0 179/25 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण मयंक मौर्य पुत्र परमहंश मौर्य, परमहंश मौर्य पुत्र स्व0 चन्द्रभान निवासीगण सरायमेवा गिरी थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मयंक मौर्य पुत्र परमहंश मौर्य निवासी सरायमेवा गिरी थाना मधुबन जनपद मऊ
2. परमहंश मौर्य पुत्र स्व0 चन्द्रभान निवासी सरायमेवा गिरी थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राममिलन यादव थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. का0 अमरनाथ थाना मधुबन जनपद मऊ।

धार्मिक टिप्पणी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 09.05.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला अभियुक्त मनीष कुमार गौतम पुत्र कैलाश निवासी सरकण्डा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के विरूद्ध थाना मुहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 242/25 धारा 299, 352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170, 126, 135 बीएनएसएस में चालान न्यायालय किया गया।

सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन मऊ रामलीली मैदान के पास का थाना प्रभारी द्वार बताया गया कि गुलशन यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी रामपुर चकिया दक्षिण टोला अपने साथी रणधीर यादव पुत्र राजेन्द्र यादव के साथ बाइक से जा रहा था जैस ही

रेलवे स्टेशन मऊ रामलीली मैदान के पास पहुचा तभी पीछे से कुछ लोग आये डण्डे लेकर आये और रोकवाकर बात-विवाद करने लगे, मारने लगे, मार पीट में गुलशन यादव और उसका साथी रणधीर घायल हो गये और वे सभी भाग गये मौके पर पुलिस ने घायल गुलशन यादव और रणधीर को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान गुलशन यादव की मौत हो गयी। तथा रणधीर का इलाज चल रहा है मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।